भाषा

20 अक्तूबर, 2006

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञानवान समाज की बुनियाद के रूप में सबको साथ लेकर चलने वाले समाज के महत्व पर जोर दिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह भी माना है कि भाषा न सिर्फ सिखाने या बातचीत करने के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्ञान और विभिन्न सेवाओं की सुलभता निश्चित करने में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। अंग्रेजी भाषा की समझ और उस पर मज़बूत पकड़ शायद उच्च शिक्षा, रोजगार की सँभावनाओं और सामाजिक अवसरों की सुलभता तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह दक्ष नहीं होते, वे हमेशा उच्च शिक्षा के मामले में पिछड़े रहते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। अगर ऐसा न हो तो भी अधिकतर विषयों में पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएँ सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध होती हैं। जिन लोगों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता उनके लिए हमारी प्रमुख शिक्षा संस्थाओं में स्थान पाने के लिए मुकाबले में सफल होना बेहद मुश्किल होता है। न सिर्फ पेशेवर कामों, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान न होने से कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं।

हमारे देश के लोग इस सच्चाई को समझते हैं। वे जानते हैं कि बेहतर ज़िन्दगी के अवसर पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बेहद ज़रूरी है। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है, उससे पता लगता है कि मध्यम आय या कम आय वाले परिवार अपनी सीमित आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अपेक्षाकृत महँगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजने पर खर्च करते हैं। बच्चों को इस तरह की शिक्षा का अवसर देना परिवार को स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा देने जितना ही महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का काम है। किन्तु बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास इसके लिए साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए वे इस शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाते हैं। हम मानते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उनको भी इस दायरे में लाना संभव है।

यह बड़ी विडम्बना है कि अंग्रेजी एक शताब्दी से भी पहले से हमारे शिक्षा व्यवस्था का अंग रही है, इसके बावजूद अंग्रेजी हमारे अधिकतर बच्चों की पहुँच से बाहर है, जिसके कारण सुविधाओं और अवसरों की सुलभता में बहुत अधिक असमानता है। आज भी करीब एक प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी को पहली भाषा तो क्या दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

इन सच्चाइयों को रातोंरात नहीं बदला जा सकता। किन्तु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि अब समय आ गया है कि हम देश के लोगों, आम लोगों को स्कूलों में भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाएँ। अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाए तो एक समाहित समाज की रचना करने और भारत को ज्ञानवान समाज बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह के प्रयास से सिर्फ 12 वर्ष में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा अधिक समान रूप से सुलभ हो सकेगी और उसके तीन से पाँच वर्ष बाद रोजगार के अवसर भी अधिक समान रूप से सुलभ होंगे।

आयोग ने सरकार, शिक्षा संस्थाओं, मीडिया और उद्योग में विभिन्न व्यक्तियों के साथ इस विषया पर अनौपचारिक विचार–विमर्श किया है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संसद सदस्यों के साथ चर्चा की गई है। आयोग ने चिकित्सा और विधि विशेषज्ञों के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ भी विचार–विमर्श किया है। सब इस बात पर सहमत हैं कि ऐसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में तौर–तरीके तय करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया था। इस कार्य दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने काफी विचार–विमर्श किया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है कि स्कूल में पहली कक्षा से बच्चे की पहली भाषा (मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा) के साथ अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। भाषा सीखने के इस चरण में बच्चे को दोनों भाषाएँ ऐसे ढंग से सिखाई जानी चाहिए कि व्याकरण और नियमों पर बहुत ज़्यादा जोर न दिया जाए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह मानता है कि नौ राज्यों (जिनमें से छह पूर्वोत्तर में हैं) और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा बारह राज्यों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों ने प्राइमरी स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में और देर–से–देर पाँचवीं कक्षा में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य कर दिया है। किन्तु इस सिफारिश पर अमल की रफ्तार धीमी है। स्कूलों में अंग्रेजी भाषा सिखाने का स्तर उतना अच्छा नहीं है। शिक्षकों की संख्या और पढ़ाने की सामग्री जैसी सहायक व्यवस्थाएँ न तो पर्याप्त हैं और न उपयुक्त हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है कि स्थिति में ऐसा

बुनियादी बदलाव किया जाना चाहिए कि देश भर में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा सके। यह पढ़ाई अकेले या अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे स्कूल पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए।

भाषा शिक्षा को समूची शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें एकरूप किया जाना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी का उपयोग स्कूल में तीसरी कक्षा से किसी गैर–भाषाई विषय को पढ़ाने के लिए भी किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में विषयों का चुनाव शिक्षकों की दक्षता और सामग्री की उपलब्धता के आधार पर स्कूलों पर छोड़ा जा सकता है। इससे बहुभाषी स्कूलों की स्थापना होगी और अंग्रेजी भाषी स्कूलों तथा क्षेत्रीय भाषी स्कूलों के बीच अंतर कम करने में भी मदद मिलेगी। भाषा सीखने और सिखाने की विधि को बच्चों की दैनिक ज़िन्दगी और वास्तविक स्थितियों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका कुछ अर्थ मिल सके। इतना ही नहीं, परीक्षा में बच्चों की क्षमता का आकलन भाषा में उनकी निपुणता की आधार पर होना चाहिए। रटाई के माध्यम से किसी एक विषय में श्रेष्ठता के लिए ईनाम देने का तरीका उचित नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा सेवा की शुरुआत की जानी चाहिए, जो भाषाई योग्यता के लिए प्रमाण पत्र दे सके। भाषाई शिक्षकों की भर्ती भी आवश्यक है।

अंग्रेजी भाषी शिक्षकों की भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्ष और संवाद कौशल में प्रवीण स्नातकों को औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण देकर भर्ती किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा सेवा द्वारा विकसित उपयुक्त प्रक्रिया के जरिए उनका चयन किया जा सकता है और फिर थोड़े समय के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इतना ही नहीं देश भर में करीब चालीस लाख स्कूली शिक्षकों को उनके विषय की विशेषज्ञता की परवाह किए बिना अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी में प्रवीणता सुधारने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण ज़रूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण के अधिकतर कार्यक्रम शिक्षकों की वास्तविक आकलन आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होते। इसलिए शिक्षकों के लिए सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण की मौजूदा व्यवस्था, जिसमें भाषाई शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है, कि पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसा करते समय पाठ्यक्रम में भाषा की मुख्य भूमिका का ध्यान रखा जाना चाहिए।

देश में अंग्रेजी भाषा के माहौल की विविधता को देखते हुए अंग्रेजी की कई तरह की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किन्तु मानकों की एकरूपता बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हर चरण में पाठ्य पुस्तकों की विषय–वस्तु के लिए कुछ मानदंड तय कर दिए जाएँ। इसके लिए पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक हर स्तर पर अंग्रेजी की अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाना चाहिए। यह पाठ्य पुस्तकें राज्यों के लिए मॉडल बन सकती हैं और इन्हें वेब पर आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि सब इनका इस्तेमाल कर सकें। शिक्षा अनसुंधान और प्रशिक्षण की राज्य परिषद राज्य बोर्ड के स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों के विकास की नोडल एजेंसी का काम जारी रख सकती है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें लिखने का काम और अधिक विकेन्द्रित किया जाना चाहिए। इसमें सबका सहयोग लेने के लिए इस विषय में पारंगत सामाजिक संगठनों को भी पाठ्य पुस्तकों के विकास में शामिल किया जा सकता है।

भाषा सीखने के लिए सिर्फ शिक्षकों के निर्देश काफी नहीं है, बल्कि आसपास वैसा माहौल भी होना चाहिए। इसलिए कक्षाओं में इस तरह की ऑडियो विजुअल और प्रकाशित सामग्री भी उपलब्ध रहने चाहिए। हर कक्षा में विद्यार्थियों की आयु के अनुसार विभिन्न विषयों के बारे में पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, ऑडियो विजुअल सामग्री और पोस्टर्स आदि का संग्रह भी रखा जा सकता है। कक्षा के बाहर भी भाषा सीखने के अवसर मौजूद रहने चाहिए। इसके लिए द्विभाषी रेडियो और टेलीविजन चैनलों की मदद ली जा सकती है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से सीखने–सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्ञान का प्रसार करने और कक्षा के बाहर भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान क्लब बनाए जा सकते हैं। भाषा सिखाने के लिए बहुत अधिक साधनों की ज़रूरत पड़ती है इसलिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जानी चाहिए, जो अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी शिक्षकों और सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे सके।

राज्य सरकारों को इस योजना पर अमल के काम में बराबर की साझीदारी करनी होगी। अतः राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा करें और अंग्रेजी को पहली कक्षा से क्षेत्रीय भाषा के अलावा एक दूसरी भाषा के रूप में सिखाने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करे। इससे यह तय हो सकेगा कि स्कूल में बारह वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर विद्यार्थी कम–से–कम दो भाषाओं में प्रवीण हो जाएगा।